निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण 1941 (श0)

(सं0 पटना 936) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अगस्त 2019

विधि विभाग

अधिसूचना

8 अगस्त 2019

सं० एल०जी०–01–13/2019–5367/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 3 अगस्त 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम 15, 2019)
बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2019

बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना।–

चूँकि "बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014" की धारा-13 (1) के अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में, आयोग के सचिव को राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों को प्रदत्त शक्तियों, के समकक्ष शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति दी गयी है;

और चूँकि "बिहार तकनीकी सेवा आयोग नियमावली, 2015" के नियम-10(1) में आयोग की वित्तीय शक्तियाँ आयोग के अध्यक्ष तथा आयोग में निहित की गयी है;

और चूँकि उक्त नियमावली के नियम-10(1) में आयोग के सचिव के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है, अतः अधिनियम एवं नियमावली में विहित उक्त प्रावधानों में विरोधाभास की स्थिति है ;

और चूँकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के निर्बाध संचालन के लिए आयोग के प्रशासनिक एंव वित्तीय शक्तियों का उचित निर्धारण समीचीन है और इसके लिए उक्त अधिनियम में संशोधन अपेक्षित है ;

इसलिए, अब भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।–**
   (i) यह अधिनियम ''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2019'' कहा जा सकेगा।
   (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम 13, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-13 (1) में संशोधन।–** उक्त अधिनियम, 2014 की धारा-13 की उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः–

"**(1) कार्य संचालन हेतु, आयोग की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ वहीं होंगी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा उपबंधित की गई हों।** "

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

---

8 अगस्त 2019

सं० एल०जी०–01–13/2019–5368/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2019 को अनुमत **बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2019** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

(Bihar Act 15, 2019)

The Bihar Technical Service Commission (amendment) Act, 2019

AN

ACT

to amend the BiharTechnical Service Commission Act, 2014 (Bihar Act 13, 2014) (as amended time to time)

preamble :-

WHEREAS, According to section-13(1) of "Bihar Technical Service Commission Act, 2014", The Secretary of the Commission shall have the powers to exercise the powers similar to the head of the Departments of the State Government, in cases of the Administrative and Financial matters;

AND WHEREAS, Financial Powers of the Commission is being invested in Chairman of the Commission and in the Commission in Rule-10 (1) of "Bihar Technical Service Commission Rules, 2015"; AND WHEREAS, There is no any provision of Administrative and Financial power for Secretary of the Commission in Rule 10 (1) of the above said Rules, so there is a situation of contradiction in the above said Provisions in Act and Rules ;

AND WHEREAS, for smooth conducting of Bihar Technical Service Commission, suitable determination of Administrative and Financial Powers of the Commission is appropriate and amendment in aforesaid Act is required for this ;

NOW THEREFORE, be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventieth year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title, extent and commencement.—***

(i) This Act may be called "The Bihar Technical Service Commission (amendment) Act, 2019".

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar

(iii) It shall come in to force from the date of its publication in the official gazette.

2. ***Amendment in Section-13(1) of Bihar Act 13, 2014 (As amended time to time)*** **.— Subsection (1) of s**ection-13 of said Act, 2014 shall be Substituted by the following :-

"(1) For conduct of functions, administrative and financial powers of the Commission shall be same as are provided by the Rules made under this Act by the State Government."

By Order of the Governor of Bihar,
Madan Kishore Kaushik,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 936-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in